कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782–222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782–222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./ 789 जगदलपुर, दिनांक 28-3-2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
भू – प्रबंध
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Widening and Upgrading to 2 Lane of NH 163 (old NH 202)from Bhopalpatnam - Taralaguda section in state of Chhattisgarh under LWE scheme, area - 104.885 ha. Regarding.

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू– प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक /भू– प्रबंध/विविध/एल. एम.–115–618/900 दिनांक 24.03.2018।

2. वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर का पत्र क्रमांक/त.अ./2073 दिनांक 28.03.2018।

—::000::—

विषयान्तर्गत् प्रतिवेदन है कि प्रकरण में उठाये गये कंडिकावार आपत्तियों का उत्तर वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है ।

वनमंडलाधिकारी बीजापुर वनमंडल द्वारा बिन्दु कमांक एक के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया है कि आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व में सड़क चौड़ीकरण हेतु 45 मीटर की चौड़ाई की मांग की गई थी, जिसके अनुसार 45 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना किये जाने पर 4003 नग वृक्ष स्थित पाया गया है, जिसके अनुसार प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 142 – 143 में दर्शाया गया है । इसके उपरांत आवेदक संस्थान द्वारा सड़क के मध्य से दोनो ओर चौड़ाई 15.00 मीटर – 15.00 मीटर कुल चौड़ाई 30 .00 मीटर लम्बाई 36.2778 कि.मी. का दो लेन चौडीकरण एवं उन्नयन हेतु 104. 887 हेक्टयर वन क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर सड़क के मध्य से दोनो ओर 10.00 मीटर – 10.00 मीटर भूमि में स्थित वृक्षों का विदोहन हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया है । प्रस्ताव अनुसार सड़क के मध्य से 10.00 मीटर – 10.00 मीटर वन भूमि में गणना अनुसार कुल 3066 वृक्ष प्रभावित है, तद्नुसार प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 86 एवं पृष्ठ कमांक 152 – 153 में दर्शाया गया है (छायाप्रति संलग्न है)। इस प्रकार वास्तविक राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौडीकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 3066 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु कमांक 3 (बी) में पेनाल्टी के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण निर्माण कार्य लोक हित में होने के कारण प्रत्याशा मूल्य राशि को दण्ड स्वरूप गणना कर राशि रू. 4,17,59,291.00 आवेदक संस्थान से वसूल करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर वनमंडलाधिकारी बीजापुर वनमंडल द्वारा प्रेषित किया गया है ।

अतः वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल से प्राप्त विषयांकित जानकारी अग्रिम कार्यवाही संलग्न सम्प्रेषित है। कृपया प्रकरण में दाण्डिक राशि प्रावधान के साथ स्वीकृति हेतु शासन को भेजने बाबत् अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Seen

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त जगदलपु

पृ.क्रं./व.त.अ./ 790 जगदलपुर दिनांक 28-3-2018

प्रतिलिपि :– 1. वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर